न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 99/2019

उनवान

1. मादू,
2. रामदेव,
3. जस्सा,
4. श्रीराम पि0 हरजी,
5. सीता पत्नी गोविन्द,
6. कालू पुत्र गोविन्द ना0बा0 जरियें संरक्षक सीता पत्नी गोविन्द,
7. रूकमा पत्नी रामचन्द्र,
8. नारायण पुत्र रामचन्द्र,
9. पप्पू पुत्र रामचन्द्र,
10. गिरधारी पुत्र हजारी,
11. अन्ना उर्फ अर्जुन पुत्र हजारी,
12. नौसर पत्नी हरचन्द,
13. महावीर,
14. सांवरा,
15. बाबू पि0 हरचन्द जाति गुर्जर नि0 दिलवाडी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–   दिनांक :– 16.12.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:46:17 IST
Reason: SelfAttested

अधिववक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश [illegible] किया कि ग्राम दिलवाडी की निम्न आराजी वादीगण की पुश[illegible] की है :–

चौसाला खसरा नम्बर	वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हा[illegible] खसरा नम्बर	रकबा
541	698	4–6–10	818	0.56

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 541 सन् फसली 1359 व [illegible]साला जमाबंदी संवत

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2014–17 में घासी पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर खुद काश्त खातेदार के नाम दर्ज थी। घासी पुत्र गंगाराम के वारिस हरजी, हजारी पि0 घासी व पन्ना पुत्र गंगाराम है। जिनकी मृत्यु हो गयी है तथा उनके वारिस वादीगण ही है। उक्त आराजी पर वादीगण का पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 698 रकबा 6–4–10 वादीगण के पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज थी किन्तु आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 818 रकबा 0.56 की आराजी वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 698 का सम्पूर्ण मिलान पेश नही किया है। बंदोबस्त विभाग ने पूर्व इन्द्राज को ही दोहराया है। वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी पुश्तैनी कब्जे शुदा वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?
   –– वादीगण
2. आया वादीगण विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?
   –– वादीगण
3. आया वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है ?
   –– प्रतिवादी
4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में वादी जस्सा पुत्र हरजी, श्रीराम पुत्र कज्जा व जयराम पुत्र रघुनाथ के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख पेश किये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम दिलवाडी के चौसाला खसरा नम्बर 541 रकबा 8–16–10 की आराजी वादीगण के पूर्वज के नाम चौसाला जमाबंदी संवत 2014 से 17 में खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। चौसाला खसरा नम्बर 541 के वंर्किग खसरा नम्बर 698 रकबा 4–6–10 व 701 रकबा 4–10– बने है जो वंर्किग जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज के नाम पूर्व अनुसार खातेदारी दर्ज है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 818 व 821 बने है इसमें से खसरा नम्बर 821 वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 818 सिवायचक खाते में दर्ज है। अ[illegible]ण खसरा नम्बर 818 रकबा 0.46 की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने [illegible] हाल खसरा नम्बर 818 का कुल रकबा 0.61 है जिसमें से 0.46 रकबा वंर्किग [illegible] से बना है। वंर्किग खसरा नम्बर 698 का कुल रकबा 4.16 [illegible] नम्बर 698 दो चौसाला खसरा नम्बर 541 व 539 से बना है। साबिक खसरा नम्बर 541 [illegible] 4–6–10 व 539 का 2–17–0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:46:17 IST
Reason: SelfAttested

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रकबा मिला कर वंर्किग खसरा नम्बर 698 बना है। किन्तु चौसाला खसरा नम्बर 541 ही वादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी था। चौसाला खसरा नम्बर 539 वादीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम कभी भी खातेदारी नही रहा। वंर्किग खसरा नम्बर 698 मिन रकबा 0.70 हाल खसरा नम्बर 821 हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार वंर्किग खसरा नम्बर 701 रकबा 0.73 के हाल खसरा नम्बर 821 भी वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। अर्थात खसरा नम्बर 821 रकबा 1.43 वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। जो खसरा नम्बर 541 रकबा 8–16–10 से बना है। वादी वंर्किग खसरा नम्बर 698 रकबा 0.46 की खातेदारी चाहते है उसके चौसाला खसरा नम्बर 541 नही होकर 539 है जो वादीगण की खातेदारी में पूर्व राजस्व अभिलेख में भी दर्ज नही था। अतः हाल राजस्व अभिलेख त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादीगण के पूर्वज के नाम साबिक खसरा नम्बर का जितना रकबा खातेदारी था उतना रकबा ही आज राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण हाल इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण सिद्व नही कर पाये है। उक्त आराजी पर वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी नही है। अतः विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा भी जारी नही की जा सकती है। तनकी संख्या 1 व 2 विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व अभिलेख त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है कि वादीगण/पूर्वज के नाम चौसाला जमाबंदी में जितना रकबा खातेदारी में था उतना रकबा हाल राजस्व अभिलेख में भी वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण जिस आराजी पर खातेदारी प्राप्त करना चाहते है। वह आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख में भी उनके अथवा उनके पूर्वजो के नाम खातेदारी नही रही। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सही रूप से सिवायचक दर्ज है। अतः तनकी संख्या 3 बहक प्रतिवादी विरूद्व प्रवादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 818 रकबा 0.56 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:46:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मादू बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 99/2019
पेश करने की दिनांक – 27.8.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 818 रकबा 0.56 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16 माह 12 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:46:17 IST
Reason: SelfAttested